रा.ल.उ.नि.

आईएसओ 9001 : 2015

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

"एनएसआईसी भवन" ओखला औद्योगिक क्षेत्र

नई दिल्ली-110020

ई-मेलः hrm@nsic.co.in

सूचना के संग्रहण के लिए कार्यविधि

अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक अपना अनुरोध निर्धारित प्रोफार्मा में अंग्रेजी/हिन्दी अथवा क्षेत्र, जिसमें आवेदन किया जा रहा हो, की राजभाषा में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा अनुरोध नीचे उल्लिखित निर्धारित फीस के साथ मांगी गई सूचना का विवरण निर्दिष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन नियुक्त संबंधित के.ज.सू.अ./स.ज.सू.अ. को प्रस्तुत की जाएगी। सूचना के लिए अनुरोध या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक/ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। ई-मेल पते के प्रयोजनार्थ, आवेदक को नियमपुस्तिका-IX में प्रदान की गई सूचना के माध्यम से दिशानिर्देश दिया जा सकता है। प्रधान कार्यालय में आवेदन कें.ज.सू.अ. की ओर से ग्राहक संपर्क अधिकारी और रा.ल.उ.नि. के सभी फील्ड कार्यालयों में के.ज.सू.अ. की ओर से स्वागत कक्ष अथवा स्वयं के.ज.सू.अ. द्वारा आवेदक को उचित पावती जारी करते हुए प्राप्त किया जाएगा।

संशोधित फीस संरचना

1.	आवेदन फीस	:	10/- रुपए
2.	दस्तावेजों के प्ररूप में सूचना प्रदान करने की लागत	:	सृजित अथवा तैयार प्रति प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2/- रुपए (ए-4 अथवा ए-3 आकार के कागज में)
3.	ए-4 अथवा ए-3/बड़े आकार के अतिरिक्त आकर के कागज में सूचना प्रदान करने की लागत	:	वास्तविक लागत
4.	नमूने अथवा मॉडल	:	वास्तविक लागत
5.	रिकार्ड का निरीक्षण	:	पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं और उसके बाद प्रत्येक घंटे (अथवा उसके भाग) के लिए 5/- रुपए की फीस
6.	डिस्केट अथवा फ्लॉपी में प्रदान	:	प्रति डिस्केट अथवा फ्लॉपी 50/- रुपए

की गई सूचना

7. मुद्रित रूप में प्रदान की गई सूचना : प्रकाशन से सार के लिए फोटोप्रति का प्रति पृष्ठ 2/- रुपए

ऐसे मामलों जहां आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और संबंधित कार्यालय/केन्द्र को उक्त प्रयोजन के लिए कार्यालय घंटों के पूर्व और उसके बाद तथा अकार्य दिवसों को विशेष रूप से कर्मचारियों को तैनात करना अपेक्षित है, में जन सूचना अधिकारी कर्मचारियों को तैनात करने पर व्यय की गई लागत की वसूली के लिए ऐसी फीस प्रभारित करने हेतु प्राधिकृत है, जिसे ब्यौरेवार निकाला जाएगा और सूचना सुपुर्द करने के बहुत पहले आवेदक को सूचित किया जाएगा। ऐसी फीस को निम्नलिखित तरीके से आगे और फीस कहा जाएगा:

8. **आगे और फीस :** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उप-धारा (3) के अधीन जन सूचना अधिकारी सूचना प्रदान करने के इस विशेष प्रयोजन से कर्मचारियों को तैनात करने पर व्यय की गई लागत की पुनःपूर्ति के लिए ऐसी फीस प्रभारित करने के लिए प्राधिकृत है। (लागत में समयोपरि/वाहन और स्थापना लागत शामिल होगी)। परिकलन के साथ प्रभारित किए जाने के लिए प्रस्तावित लागत का ब्यौरा सूचना की सुपुर्दगी के पूर्व आवेदक को दिया जाएगा।

संशोधित फीस संरचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और ऐसे आवेदनों, जो निपटान के लिए लंबित हैं, पर भी लागू होगी।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी